## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 16/2019 दायरा दिनांक : 24.01.2019

उनवान

1– छीतरलाल आत्मज श्री ग्यारसीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम खेड़ली बांसला, तहसील अटरू, जिला बारां

2– श्रीमूती पंसूरीबाई पुत्री श्री ग्यारसीलाल धर्म पत्नि श्री मथुरालाल, जाति धाकड, निवासी मेरमा तालाब, तहसील अटरू, जिला बारां

3– श्रीमती सुशीला बाई पुत्री श्री ग्यारसीलाल धर्म पत्नि श्री बाबूलाल, जाति धाकड़, निवासी गोविन्दपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– ओम प्रकाश आत्मज श्री घासीलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम खेड़ली बांसला, तहसील अटरू, जिला बारां

2– संतोष कुमार आत्मज श्री भूरा, जाति धाकड, निवासी ग्राम मूण्डला, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.06.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिससे वाद संख्या 90/2013 वास्ते प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए स्वीकार किया गया।

**निर्णय** **दिनांक : 30.01.2023**

1 **वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –**

2 वादग्रस्त आराजी ग्राम बल्देवपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां में प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 10 की खसरा नम्बर 78 रकबा 1.79 हेक्टर आराजी स्थित है।

3 इसी प्रकार अप्रार्थी कम 1 ता 3 की वाके माल बल्देवपुरा तहसील अटरू, जिला बारां में खाता संख्या 36 की खसरा नम्बर 81/449 रकबा 0.12 हेक्टर आराजी व अप्रार्थी कम 4 की खाता संख्या 142 की खसरा नम्बर 81 रकबा 0.46 हेक्टर आराजी कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है।

4 यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित खसरा नम्बर 78 पर आने जाने, हल कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, मवेशी आदि लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित अप्रार्थी कम 1 ता 3 की आराजी खसरा नम्बर 81/449 व अप्रार्थी कम 4 की आराजी खसरा नम्बर 81 के मध्य मेड पर होकर हमेशा से निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

5 यह कि अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने उक्त रास्ते को फाड़ तोड़कर पत्थर का कोट बना कर अवरूद्ध कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, मवेशी आदि लाने ले जाने का रास्ता बन्द हो गया है। इस रास्ते के बन्द हो जाने से प्रार्थी की आराजी पड़त रहने की पूरी पूरी संभावना हो गई है। इस कारण अप्रार्थी कम 1 ता 3 से 10 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। यदि यहां होकर रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थी की आराजी पड़त रह जावेगी, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा।

6 अतः निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 78 रकबा 1.77 हेक्टर आराजी पर आने जाने हल, कूली, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, मवेशी आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 3 की आराजी खसरा नम्बर 81/449 रकबा 0.12 हेक्टर व अप्रार्थी कम 4 की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 0.46 हेक्टर की मध्य मेड पर जो अप्रार्थी कम 1 ता 3 द्वारा फाडकर कोट बना लिया है, को हटवाकर 10 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जाकर सीमाकिंत किया जावे।

7 **अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –**

8 पत्रावली न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट में पेश हुई, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम एवं माल बल्देवपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां में प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 10 की खसरा नम्बर 78 रकबा 1.79 हेक्टर आराजी स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी कम 1 ता 3 की वाके माल बल्देवपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां में खाता संख्या 36 की खसरा नम्बर 81/449

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रकबा 0.12 हेक्टर आराजी व अप्रार्थी कम 4 की खाता संख्या 142 की खसरा नम्बर 81 की 0.46 हेक्टर आराजी कब्जे काश्त व स्वामित्व में चली आ रही है। प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित खसरा नम्बर 78 पर आने जाने, हल कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, मवेशी आदि लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित अप्रार्थी कम 1 ता 3 की आराजी खसरा नम्बर 81/449 व अप्रार्थी कम 4 की आराजी खसरा नम्बर 81 के मध्य मेड पर होकर हमेशा से निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने उक्त रास्ते को फाड़ तोड़कर पत्थर का कोट बना कर अवरूद्ध कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, मवेशी आदि लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित अप्रार्थी कम 1 ता 3 की आराजी खसरा नम्बर 81/449 व अप्रार्थी कम 4 की आराजी खसरा नम्बर 81 के मध्य मेड़ पर होकर हमेशा से निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

9 अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 78 रकबा 1.77 हेक्टर आराजी पर आने जाने हल कूली, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, मवेशी आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 3 की आराजी खसरा नम्बर 81/449 रकबा 0.12 हेक्टर व अप्रार्थी कम 4 की आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 0.46 हेक्टर की मध्य मेड पर जो अप्रार्थी कम 1 ता 3 द्वारा फाडकर कोट बना लिया है, को हटवाकर 10 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जाकर सीमाकिंत किया जावे। जिसका प्रतिकर प्रार्थी देने का तैयार है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

10 प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई, अप्रार्थी कम 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें कथन किया गया कि जिस स्थान पर होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 78 में आने जाने का रास्ता बता रहा है, वहां पर मौके पर पुराना पत्थर का कोट बना हुआ है, जो अप्रार्थी कम 1 ता 3 का बना हुआ है जिसको हटवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस वजह से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के पूर्व में खसरा नम्बर 1213 का रकबा 11, 12 बीघा के लगभग था, जिसको सैटलमेंट द्वारा 82, 83, 81/449 खसरा नम्बर बना दिया है। प्रार्थी द्वारा मन गढन्त एवं झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

11 अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें। तहसीलदार अटरू से दौराने केम्प मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र कमांक 8 दिनांक 20.06.2018 से मौका रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि ग्राम बल्देवपुरा में आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.77 हेक्टर भूमि खातेदार ओम प्रकाश पुत्र घासीलाल, जाति धाकड के नाम दर्ज है। मौकानुसार वादी/प्रार्थी खातेदार को अपने खेत खसरा नम्बर 78 में पहुंच के लिए ग्राम बरला के काकड़ सीता ग्राम से अपने खेत खसरा नम्बर 78 तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 81/449 में से होकर आते जाते हैं। वर्तमान में खसरा नम्बर 81/449 में होकर जाने में खातेदार छीतरलाल रास्ते को समाप्त कर हकत कर फसल बो देने से निकलने में वादी को परेशानी होना बताया गया है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी वादी के खेत खसरा नम्बर 78 में पहुंचने के लिए कोई सरकारी रास्ता नहीं है। वादी अपने खेत खसरा नम्बर 78 में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। मुताबिक रेकार्ड खसरा नम्बर 81/449 रकबा 0.12 हेक्टर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किस्म बरानी ।।। खातेदार छीतरलाल पुत्र ग्यारसीराम वगैरह के नाम दर्ज है।

12 वादी ओम प्रकाश को अपने खेत खसरा नम्बर 78 में जाने के लिए चौडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 128 कुल 4 X 128 - 512 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी अर्थात् 0.05 हेक्टर भूमि रास्ते हेतु दिये जाने की आवश्यकता है।

13 पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी को अपने खाते की आराजी पर ओर कोई रास्ता नहीं होने से रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

14 अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

15 उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बल्देवपुरा की खाता संख्या 10 किता 6 रकबा 2.21 हेक्टर के खसरा नम्बर 78 पर जाने हेतु अप्रार्थी कम 1 ता 3 की खाते की आराजी खसरा नम्बर 81/449 रकबा 0.12 हेक्टर में से 4 मीटर चौडा व 128 मीटर लम्बा कुल 512 वर्गमीटर 0.05 हेक्टर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते हैं।

16 तहसीलदार अटरू नियमानुसार डी. एल. सी. का दुगना जमा करवा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

17 पत्रावली बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

**18 इस न्यायालय के अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –**

19 यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय कानूनी न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

20 यह कि उक्त प्रकरण में रिपोर्ट कमिश्नर हेतु तारीख पेशी नियत थी, किन्तु परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के बिना ही पत्रावली लोक अदालत में केम्प कोर्ट पर रखकर अपीलांट को सूचना दिये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर कानूनी प्रावधानों एवं नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों की अवहेलना की है। इस आधार से भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

21 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की शहादत लिये बिना एवं कानूनी प्रावधानों को अपनाये बिना एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश जैर अपील प्रदान की है।

22 यह कि जिस रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने आधार बनाया है वह तथ्यों के सर्वथा विपरीत है तथा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को न तो सूचना दी गई और न गांव के मोतबिर व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की गई तथा इस रिपोर्ट पर आपत्ति करने का भी अपीलांट को अवसर प्रदान नहीं किया। इन्सपेक्टर लेण्ड रेकार्ड द्वारा सिर्फ रेस्पोडेंट प्रार्थी ओमप्रकाश से मिलकर उसके कथनानुसार रिपोर्ट बनाई है, जो तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

23 यह कि वास्तव में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ओमप्रकाश का अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 78 में जाने का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 सदेव से रेस्पोडेंट नं. 2 संतोष कुमार के खेत की मेड पर होकर अपने खेत में जाता रहा है। पिछले करीब 5–6 साल से रेस्पोडेंट नं. 2 संतोष कुमार के खाते की खसरा नम्बर 81 की भूमि को भी रेस्पोडेंट नं. 1 ओम प्रकाश प्रार्थी काश्त कर रहा है तथा उसने रेस्पोडेंट नम्बर 2 संतोष कुमार के खाते में स्थित मेंड जो करीब 8–10 फीट चौड़ी थी, फाड ली तथा उस पर काश्त करने लग गया और इस कारण गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 ओम प्रकाश

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो काबिले निरस्तनीय था।

24 यह कि अपीलांट के खाते की भूमि पर पुराना कोर्ट बना हुआ है। इसलिए इस भूमि पर रास्ता होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

25 यह कि रेस्पोडेंट नं. 1 का मौके पर यदि कोई रास्ता अपीलांट द्वारा बन्द किया गया था तो उसे तहसीलदार साहब के समक्ष धारा 151 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। धारा 251 ए में तो नया रास्ता कायम करने का प्रावधान है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण मेंटेनेबल नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र श्रवण करने का क्षेत्राधिकार भी नहीं था। इस आधार पर भी आदेश जैर अपील अधिकार क्षेत्र से परे होने से निरस्तनीय है।

26 यह कि उक्त प्रकरण में अपीलांट ने अटरू के वरिष्ठ अभिभाषक श्री मोहनलाल जी सुमन को अपना अभिभाषक नियुक्त कर रखा था। उक्त प्रकरण में सन् 2014 से रिपोर्ट तहसील प्राप्त करने हेतु एवं शहादत प्रार्थी हेतु तारीख पेशी दी जाती रही थी। उक्त प्रकरण अभी एवं उनके अभिभाषक महोदय की सहमति के बिना ही लोक अदालत में रख लिया तथा अपीलांट एवं उसके अभिभाषक को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय तौर पर निर्णय पारित कर दिया, जिसकी अपीलांट अथवा उसके अभिभाषक महोदय को कोई सूचना नहीं दी। अपीलांट के अभिभाषक महोदय द्वारा अपीलांट को आश्वासन दे रखा था कि रिपोर्ट आने के आद अपीलांट को सूचना दे दी जावेगी। अपीलांट अपने अभिभाषक महोदय से हर पांच छः महीने में मिलता रहता था। अपीलांट दिनांक 7 जनवरी को अपने वकील साहब से आकर मिला तो उन्होंने कहा कि लोक अदालत की पत्रावलियों में कई में अभी तक

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

पेशी नहीं दी गई है। फिर भी उन्होंने पता करने को कहा तथा कार्यालय में जाकर पता किया तो पता चला कि उक्त प्रकरण दिनांक 20.06.2018 को ही निर्णित किया जा चुका है। इस पर दिनांक 07.01.2019 को ही नकल हेतु प्रार्थना पत्र देकर अपीलांट ने दिनांक 08.01.2019 को नकल प्राप्त कर खर्चे एवं फीस का इन्तजाम कर दिनांक 12 जनवरी से 14 जनवरी तक का अवकाश होने से आज अपील पेश कर रहा है, जो तारीख जानकारी से अवधि मध्य है। दिनांक 07.01.2019 से पूर्व अपीलांट का आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी।

27 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। बसूरत दीगर प्रकरण पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

28 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.01.2019 को हुई, जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

29 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

30 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की –

1– 2015 (2) आर. आर. टी. पेज 755 (एच. सी.)

2– 2016–17 (सप्ली.) आर. आर. टी. पेज 597

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

3— 2016 (2) आर. आर. टी. पेज 1281

31 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

32 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

33 ग्राम बल्देवपुरा में आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.77 हेक्टर भूमि खातेदार ओम प्रकाश पुत्र घासीलाल, जाति धाकड के नाम दर्ज है।

34 वादी/प्रार्थी खातेदार मौकानुसार अपने खेत खसरा नम्बर 78 में पहुंच के लिए ग्राम बरला के काकड़ सीता ग्राम से अपने खेत खसरा नम्बर 78 तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 81/449 में से होकर आते जाते हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

वर्तमान में खसरा नम्बर 81/449 में होकर जाने में खातेदार छीतरलाल रास्ते को समाप्त कर हकत कर फसल बो देने से निकलने में वादी को परेशानी हो रही है।

35 राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी वादी के खेत खसरा नम्बर 78 में पहुंचने के लिए कोई सरकारी रास्ता नहीं है। वादी अपने खेत खसरा नम्बर 78 में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है।

36 वादी ओम प्रकाश को अपने खेत खसरा नम्बर 78 में जाने के लिए चौडाई 4 मीटर तथा लम्बाई 128 कुल 4 X 128 - 512 वर्गमीटर भूमि अर्थात् 0.05 हेक्टर भूमि रास्ते के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है।

37 तहसीलदार अटरू नियमानुसार डी. एल. सी. का दुगना जमा करवा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के निर्देश दिये हैं।

38 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

39 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

40 निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा